(58)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 945–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 27–3–15 पारित द्वारा तहसीलदार, बैतूल प्रकरण कमांक 40/अ–12/2014–15.

नेमीचन्द मालवीय पुत्र खेमचंद मालवीय
निवासी मोती वार्ड, पटने आटा चक्की के पास
टिकारी बैतूल
.....आवेदक

विरूद्ध

1– श्रीमती राजकुमारी पत्नी रामशंकर दिवड़े
2– रामशंकर पुत्र दीपचंद दिवड़े
निवासी शोभापुर कॉलौनी पाथाखेडा
तहसील व जिला बैतूल
.....अनावेदकगण

श्री आर0डी0 पटेल, अभिभाषक, आवेदक
श्री सुरेन्द्र कौशिक, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 14/5/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, बैतूल द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–3–15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा ग्राम टिकारी तहसील व जिला बैतूल स्थित भूमि सर्वे कमांक 593 रकबा 0.024 हेक्टेयर एवं अनावेदक कमांक 2 सर्वे कमांक 594 रकबा 0.008 हेक्टेयर के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 40/अ–12/2014–15 दर्ज कर प्रश्नाधीन भूमियों

का सीमांकन कराया जाकर दिनांक 27–3–15 को सीमांकन आदेश पारित किया गया । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) सीमांकन कार्यवाही में सर्वे कमांक 606 के उत्तर पूर्व कोने एवं सर्वे कमांक 596 के शासकीय रास्ता के कोने को आधार मानकर इ.टी.एस. मशीन से सीमांकन किये जाने का उल्लेख है, जो कि संभव नहीं है क्योंकि नक्शे में सर्वे कमांक 593 एवं 594 की सीमायें त्रुटिपूर्ण हैं, कारण सर्वे कमांक 593 रकबा 0.024 हेक्टेयर का साईज छोटा एवं सर्वे कमांक 594 रकबा 0.008 हेक्टेयर का साईज बड़ा बताया गया है, ऐसी स्थिति में सीमांकन कार्यवाही अवैधानिक है ।

(2) इ.टी.एस. मशीन से किये गये सीमांकन की फील्ड रिपोर्ट प्रशिक्षित पटवारी से ऑटोकेड फारमेट में चाही गई थी, जिसे प्राप्त कर कम्प्यूटर में चलाया गया तो वह पूर्णतः खाली निकली ।

(3) सीमांकन की हार्ड कॉपी, फील्डबुक व रिकार्ड के आधार पर ऑटोकेड सोफ्टवेयर में सीमांकन कार्यवाही का डॉटा जनरेट करने पर विक्रय पत्रों में संलग्न नक्शा एवं सीमांकन में विरोधाभासी स्थिति पायी गई है । इस आधार पर कहा गया कि पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर सीमांकन कार्यवाही की गई है, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है ।

(4) संहिता की धारा 129 के अंतर्गत पड़ोसी कृषकों को सूचना दिया जाना आवश्यक है, परन्तु सीमांकन कार्यवाही पड़ोसी कृषकों को सूचना नहीं दी गई है ।

(5) सीमांकन कार्यवाही में सहखातेदारों को भी किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई है ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 19–2–2013 को पड़ोसी कृषकों को सूचना पत्र जारी किया गया है, परन्तु उक्त दिनांक को आवेदक की ओर से आपत्ति प्रस्तुत किये जाने पर प्रशिक्षित व्यक्ति से इ.टी.एस. मशीन से सीमांकन कराया गया है, जो कि विधिवत होने से सीमांकन आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

(2) दिनांक 23–3–2015 को मौके पर आवेदक सहित पड़ोसी कृषकों की उपस्थिति में विधिवत सीमांकन किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता नहीं है ।

(3) राजस्व निरीक्षक द्वारा स्थयी सीमा चिन्हों से प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन किया गया है, और सीमांकन में आवेदक को अवैध कब्जा अनावेदकगण की भूमि पर पाया गया है ।

उनके द्वारा सीमांकन आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखत तर्क में उठाये गये आधारों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के सीमांकन प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा विधिवत आवेदक को सीमांकन की सूचना दी गई है, और वह मौके पर उपस्थित हुआ है तथा आवेदक के अनुरोध पर कई बार सीमांकन की तारीख बढ़ाई गई है । तत्पश्चात प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन किया जाकर सीमांकन आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है, इसलिए तहसीलदार का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार, बैतूल द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–3–15 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर